दिनांक 18 व 19 जून 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- **बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक– 903/110/तीन/97–VI, दिनांक 08.06.2015** द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। जिन जनपदों द्वारा निर्धारित तिथि तक मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो ऐसे जनपदों की सूची प्रस्तुत की जाय।

- **समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई–मेल प्रेषण में विषय एवं जनपद का नाम जरूर अंकित किया जाय।**

(कार्यवाही सूडा/समस्त डूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

सरेण्डर के उपरान्त जनपदों से अप्राप्त संशोधित डी0पी0आर0

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत जनपद अमेठी एवं गौतमबुद्ध नगर की संशोधित डी0पी0आर0 तैयार न होने के कारण सम्बन्धित जनपद एवं कार्यदायी संस्था को एक सप्ताह में संशोधित डी0पी0आर0 तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर की संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी है तथा धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

  समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित् करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बन्दुओं पर एम0पी0आर0 भेजे जाने के संबंध में योजना से आच्छादित समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले माह से प्रत्येक दशा में माह की **05 तारीख तक एम0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें** अन्यथा संबंधित पटल आख्या प्रेषित न करने वाले जनपदों का विवरण पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

- संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि **बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0** योजना के अन्तर्गत

निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यों की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को अवश्य प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजना की परियोजनावार प्रगति की समीक्षा की गयी। कार्यदायी संस्था को आगरा, मुजफ्फर नगर, गाजियाबाद एवं अलीगढ शहरों में कार्य धीमा होने के दृष्टिगत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत तत्काल कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित की गई समय सारिणी/वर्क प्लान के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व व कार्य समाप्ति होने के फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली में अवश्य संरक्षित किये जायें। इसके अतिरिक्त जिन शहरों में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ उनको शीघ्र एम0ओ0यू0 करा कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

➢ कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 23786 आवासों के सापेक्ष 8714 पर कार्य प्रारम्भ है। प्रारम्भ आवासों के सापेक्ष मात्र 3498 आवास ही पूर्ण है (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन है। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 36.63 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुय बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- **कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि आवासों का निर्माण ब्लाकवार पूर्ण किया जाय तथा पात्र लाभार्थियों को आवंटन भी किया जाये जिससे वे स्वयं भी निर्माण की गुणवत्ता के समय–समय पर आकलन कर सकें।**
- आसरा योजनान्तर्गत निःशुल्क भूमि न उपलब्ध होने के कारण इन–सीटू आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–1833/69–1–14–14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 09.09.2014 निर्गत किया जा चुका है। उक्त संबंध में जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जहां इन–सी–टू आवासों की डी0पी0आर0 तैयार नहीं हो पायी है वे शीघ्र कार्यवाही कर उक्त डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें।

  आसरा योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को शीघ्र धनराशि अवमुक्त कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।

- बैठक में विभिन्न जनपदों की आसरा योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी एवं प्रगति पर कार्यदायी संस्था से असंतोष व्यक्त किया गया। समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित

किया गया कि समस्त परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की तथा कार्य समाप्ति की फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न करें तथा इसे सूडा को भी प्रेषित करें।

- इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि परियोजना सम्पूर्ण बस्ती को लेकर तैयार की गयी है। इन–सीटू परियोजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण करने से पूर्व लाभार्थी से भू–स्वामित्व का प्रासंगिक प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा राजस्व अधिकारियों से भी समय–समय पर सत्यापन कराया जाय, तदोपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

- समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा मकानों के आवंटन की कार्यवाही अभी प्रारम्भ नहीं की गयी, तत्काल मकान के आवंटन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित् करें एवं आगामी मासिक समीक्षा बैठक में आवंटन के संबंध में पूर्ण विवरण लेकर उपस्थित हों।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

➢ समस्त संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों एवं अवस्थापना कार्यो की गुणवत्ता व आवास आवंटन के संबंध में प्रत्येक माह परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से सूडा को अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें, की पुर्नावृत्ति किसी अन्य योजनाओं में न हो। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में विलम्ब के कारण किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(कार्यवाही –सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

रिक्शा योजना

योजना की समीक्षा के दौरान इस तथ्य की ओर इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय स्तर से दिनांक 19.05.2015 को प्रदेश से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों में एक विज्ञापन का प्रकाशित किया गया था, जिसमें यह उल्लिखित था कि जिन पात्र आवेदकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें एक अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। आवेदक दिनांक 29.5.2015 तक निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र जनपदीय डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप सम्बन्धित डूडा कार्यालय/नगर निकाय कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं/सूडा की वेब–साइट www.sudaup.org पर भी फार्म उपलब्ध है।" इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्रांक–846 दिनांक 03.06.2015 के द्वारा सूच्य तालिका पर समस्त जनपदों में अद्यतन चयनित पात्र लाभार्थियों की संख्या सूचित किये जाने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह योजना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।

समस्त परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि चयनित लाभार्थियों की अद्यतन संख्या एवं सम्बन्धित सूची (अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के उल्लेख सहित) एक सप्ताह के अन्दर ई–मेल के माध्यम से सूडा मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित, "रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अनवरत कड़े निर्देश के बाद भी नहीं दी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। निदेशक महोदय द्वारा सचेत करते हुय यह निर्देशित किया गया कि उक्त जन कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु समस्त परियोजना अधिकारियों के द्वारा आच्छादित (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने हेतु समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये। अपेक्षित जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जनपदों द्वारा कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)

प्रश्नगत योजना के परिपेक्ष्य में विगत दिनांक 15 एवं 16 अपैल 2015 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.04.2015 में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप जिन जनपदों में स्लम प्रोफाइल से सम्बन्धित सुनिश्चित प्रारूप पर सर्वेक्षित सूचना संग्रहित नहीं की गयी है या जहां सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अपूर्ण है अथवा जहां यह कार्य किया ही नहीं गया है उन सभी शहरों में स्लम प्रोफाईल प्रारूप को सम्मिलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ऑनलाईन डेटाफीडिंग हेतु नांमित संस्था (अप्ट्रान) के प्रतिनिधि को सर्वेक्षण प्रारूप की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाये। यह भी निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कडी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक से पूर्व एवं इसके पश्चात भी अभिकरण स्तर से सभी जनपदों को सुस्पष्ट निर्देश पृथक से भी निर्गत किये गये हैं।

खेद का विषय है कि सम्प्रति मासिक समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान ऑनलाइन डेटा फीडिंग हेतु अभिकरण द्वारा नामित संस्था अप्ट्रान के प्रतिनिधि तथा सर्वेक्षण प्रारूप एकत्र कर फीडिंग किये जाने हेतु अप्ट्रान द्वारा अधिकृत संस्था के प्रतिनिधि द्वारा यह वस्तुस्थिति संज्ञान में लाई गई कि सुस्पष्ट निर्देश के बावजूद भी जनपदीय डूडा द्वारा निर्देशों का अनुपालन न करते हुए अद्यतन फीडिंग हेतु फॉरमेट्स हस्तगत नहीं कराये जा सके हैं, यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

निदेशक महोदय द्वारा विगत दिनों भारत सरकार के योजना से सम्बन्धित नोड़ल अधिकारी के स्तर से इस सम्बन्ध में किये जा रहे सतत अनुश्रवण एवं प्रश्नगत कार्य में कतिपय शिथिलता के सम्बन्ध में महालेखाकार की सम्प्रेक्षा टिप्पणी में भी इंगित किया गया है।

निदेशक महोदय द्वारा पुनः यह निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद विलम्बतम 15 दिन के अन्दर स्लम प्रोफइल के सुनिश्चित प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर भरे गये प्रारूप नामित संस्था के प्रतिनिधि को ऑनलाइन डेटाफीडिंग हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित डूडा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) के अंतर्गत जनपदों को अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या–55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की सघन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय–समय पर आदेश दिये जा रहे है। रिट याचिका (सिविल) संख्या–572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये तत्काल पर्याप्त संख्या में आश्रय के निर्माण के लिए निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एनयूएलएम के अंतर्गत सभी चयनित शहरी निकायों से शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उक्त आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पुनः दिये गये। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहां विभिन्न सरकारी विभागों यथा–स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित् कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित् करते हुय तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि तत्काल समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित् करें तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

- कार्यदायी संस्था एवं उपस्थित परियोजना अधिकारियों एवं शहर परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है वे तत्काल कार्यवाही कर प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी प्रगति से भी इस कार्यालय को पाक्षिक अवगत कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न की जाये।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेताओं की **पंजीकृत सूची** अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू0एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रारम्भ हो चुका है एवं एन0यू0एल0एम0 के इस उपघटक की गत वित्तीय वर्ष में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। समस्त संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित् किया जाय। समीक्षा में समूहों ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी संबंधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित् किया जाय।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पत्रों का विवरण बैंकवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई–मेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- जिन शहरों हेतु सी0एल0सी0 स्वीकृत कर धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0सी0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत आख्या तत्काल उपलब्ध करायें।

- एन0यू0एल0एम0 के अंतर्गत समस्त चयिनत शहरों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अभी तक बैंक में खाता नहीं खोला गया है तत्काल ऐसे शहर बैंक में खाता खुलवा कर सूडा के लेखा पटल को अवगत कराना सुनिश्चित् करें।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपस्थित सभी प्रतिनिधियों के समक्ष एम0आई0एस0 का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित जनपद के प्रतिनिधियों को एन0एस0डी0सी0 के माध्यम से कराये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के निर्देश भी दिये गये।

- योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्व में नियोजन विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार प्रति परिवार निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू0 25546/– के आधार पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

आई0एल0सी0एस0

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर0सी0 जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जनपद बरेली, गौतमबुद्धनगर एवं झांसी जनपदों को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

- स्वर्ण जयन्ती शहरी योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत **कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों के सापेक्ष 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट किया जाना आवश्यक है।** सभी संबंधित जनपद जिनका प्लेसमेन्ट 70 प्रतिशत से कम है को पुनः निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित् की जाय एवं आगामी बैठक में इसका विवरण भी साथ लेकर आयें।

- समस्त परियोजना अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षित लाभार्थियों का पूर्ण विवरण सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु हार्ड एवं साफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाय।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- योजना की समीक्षा करने पर तथ्य संज्ञान में आया कि कतिपय जनपदों द्वारा अभी भी कई स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है यद्यपि जनपदों को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।

- जनपदो को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि शासन को द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप "क" एवं "ख" पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ /उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

- योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि रोके जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि कार्यहित में न रोके जाने का अनुरोध शासन स्तर से किया जाये।

- समस्त जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया कि स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वहां की स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ संबंधित परियोजना की पत्रावली में संरक्षित की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपद वाराणसी के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र कतिपय कारणों के कारण प्रेषित नहीं किये जा पा रहे है। संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कराये जाने वाले कार्यों का विवरण कारण सहित कार्यदायी संस्था के साथ मुख्यालय मे उपस्थित होना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

एस0सी0एस0पी0

- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि **एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।**

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जनपद श्रावस्ती, औरैया, चन्दौली, गोण्डा, ललितपुर एवं मरेठ द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है के सम्बन्ध में जनपद औरैया एवं गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी बैलेन्स शीट तैयार हो गयी है, उक्त के अतिरिक्त शेष जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। गुणवत्ता यदि खराब पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगें।
- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी0पी0आर0 में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।

➢ समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 1221 /110/तीन/97 **Vol-VII** दिनांक– 25/6/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
9. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
10. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, एन0यू0एल0एम0 शहर।
12. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
13. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक